



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27022026-270548  
CG-DL-E-27022026-270548

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1026]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 27, 2026/फाल्गुन 8, 1947

No. 1026]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 27, 2026/PHALGUNA 8, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2026

का.आ. 1070(अ).— मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 58 की उप-धारा (3) तथा धारा 110 की उप-धारा 3(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने राजपत्र अधिसूचना संख्या एस.ओ. 5976(ई), दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 के माध्यम से, मेसर्स भग्योदय ट्रांसपोर्ट कंपनी को चार ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट्स को मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलरों पर, खेडा से कांडा पोर्ट, गुजरात तक सड़क मार्ग द्वारा, बारह माह की अवधि के लिए, एक्सल के संयोजन के साथ, अधिकतम सुरक्षित भारित वजन/सकल वाहन वजन तथा आयामों सहित परिवहन हेतु अनुमोदन प्रदान किया था।

2. उक्त अधिसूचना के पैरा 3 में, क्रम संख्या 52 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी:-

“

क्रम संख्या	ट्रेलरों का पंजीकरण संख्या	निर्माता	ट्रेलरों में एक्सलों की संख्या	अनुमेय सकल वाहन वजन (टन में)
1.	एच आर 38 ए के 1011	टी ॥ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	6	22
2.	एच आर 55 ए ज़ेड 1011	टी ॥ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	6	22
3.	एच आर 58 एफ 1011	गोल्डहोफर इंडिया लिमिटेड	6	48

”

[फा. सं. आरटी-11042/01/2023-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****CORRIGENDUM**

New Delhi, the 25th February, 2026

**S.O. 1070(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 58 and sub-Section 3(a) of Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government vide Gazette notification No. S.O. 5976(E), dated 23<sup>rd</sup> December, 2025, had accorded approval to M/s Bhagyodaya Transport Company for transportation of four over dimensional consignments on Modular Hydraulic Trailers, from Kheda to Kanda port, Gujarat by road for the period of twelve months, by coupling of axles, with maximum safe laden weight/Gross vehicles Weight and dimensions.

2. In the said notification, in para 3, after serial No. 52 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

“

S. No.	Registration No. of Trailers	Make	No. of Axles in Trailers	Permissible Gross Vehicle Weight (in Tons)
1.	HR-38-AK-1011	TII INDIA PVT. LTD.	6	22
2.	HR-55-AZ-1851	TII INDIA PVT. LTD.	6	22
3.	HR-58-F-4215	GOLDHOFER INDIA LLP	6	48

”

[F. No. RT-11042/01/2023-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.